न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 62/2018
3. उनवान :

1. मालीराम
2. रामेश्वर
3. सागर

पुत्रान श्री चौखा राम, जाति जाट निवासीयान ग्राम डीसा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर

4. गोपाल पुत्र श्री बाधा राम निवासी ग्राम दादिया रामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। हाल निवासी ग्राम डीसा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

बनाम

1. उप तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. सेन्ट्रल कॉपरेटिव सोसायटी बैंक शाखा किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील फुलेरा बहैसियत माफी मन्दिर गोपालजी विराजमान हस्तेडा, सांभर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
4. मूर्ति मन्दिर माफी गोपालजी विराजमान हस्तेडा जरिये पुजारी गोपाल कृष्ण शर्मा मुख्तयार आम महन्त श्री हरिवल्लभ दास

रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 04-01-2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री आर.के. वर्मा अपीलान्ट की ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री भानुप्रकाश पारीक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध आज्ञा उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 02.08.2004 ग्राम डीसा

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं जागीरी अधिग्रहण के समय से खसरा नंबर 83 रकबा 26.17 बीघा वाके ग्राम डीसा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर की भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज नानू, चौखा के कब्जे काश्त खातेदारी में चली आ रही है। वर्तमान में भी अपीलकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व ही भू–धारक के कॉलम में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी का नाम चला आ रहा है, परन्तु मन्दिर मूर्ति की भूमि खुदकाश्त के नाम नहीं रही तथा कृषक के नाम के कॉलम में अपीलान्ट्स के पूर्वजों का नाम चला आ रहा है, पूर्वजों का देहान्त होने के बाद अपीलान्ट्स का कब्जा हक अधिकार एवं नाम साधिकार निरन्तर एवं लगातार चला आ रहा है, परन्तु राज्य सरकार के आदेश के द्वारा बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के नाम के स्थान पर माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी विराजमान के नाम अंकित कर दिया गया। उप तहसीलदार केशनगढ रेनवाल ने प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही वाला वाला नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया गया। विवादग्रस्त भूमि कभी भी माफी मन्दिर श्री गोपालजी के खुदकाश्त के नाम नहीं रही है, ना ही कभी मन्दिर के नाम काश्त की रही, मात्र जमावन्दी में कॉलम संख्या 3 में माफी मन्दिर श्री गोपालजी का नामांकन जो जागीर अधिग्रहण होने के वाद कॉलम नं0 3 राज्य सरकार के नाम हो गया, जो भू–धारक की स्थिति को दर्शाता है तथा कॉलम सं0 5 में जो कृषक के नाम के स्थान पर अपीलान्ट के पूर्वज नानू, चौखा पिता लादू का नाम दर्ज है। बिना नोटिस दिये ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम रूप से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, जागीरदारों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

स्थानान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के नाम दर्ज रहेगा। अपीलान्ट्स को अपनी खातेदारी भूमि पर सैन्ट्रल कॉपरेटिव सोसायटी बैंक शाखा किशनगढ रेनवाल के रहन रख रखी है व समय समय पर बैंक में किसान क्रेडिट ऋण लेता रहा है। अपीलान्ट्स से अपने ऋण की सीमा बढाने हेतु पटवारी से नकल लेने हेतु दिनांक 10.01.2012 को जाने पर दिनांक 24.01.2012 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 02.08.2004 ग्राम डीसा, तहसील फुलेरा को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण ने अपील के सलंग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, शपथ पत्र, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अपीलार्थीगण/अधिवक्ता लम्बे समय तक अनुपस्थित रहे हैं। सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि राज्य सरकार के आदेश कमांक 5/2003/3232 दिनांक 20.05.2003 की पालना में नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 02.08.2004 को स्वीकार कर वर्तमान में माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी विराजमान की खातेदारी नियमानुसार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोला गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

हम पत्रावली में उपलब्ध अपीलार्थी की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रेस्पोडेन्ट के जवाब अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों, आदि का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 02.08.2004 वाके ग्राम डीसा में अपीलार्थी को बिना सुनवाई किये तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना यह निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जिसमें अपीलार्थी द्वारा लोन लेने की दृष्टि से जमाबंदी निकलवाने पर नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त होने का आधार न्यायोचित तथा तथ्यपरक मानते हुए डिले कण्डोन किया जाता है। हम अपीलार्थी की अपील, जो कि विचाराधीन नामान्तरकरण के सन्दर्भ में की गई है, में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में नामान्तरकरण राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जारी आदेश के आधार पर खोला गया है। जिसमें यदि भूमि माफी मन्दिर की हो, तो भी बिना सुने इकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा माफी मन्दिर की भूमि होने पर नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि इस प्रकिया के विपरीत रहा है। इसलिए खारिज योग्य है। साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकार करते समय आई.एल.आर. की जांच में यह नोट लिखा गया है कि आराजी ख. नं. 83 की सैटलमेन्ट की जमाबन्दी खतौनी के कॉलम 5 में कृषक का नाम दर्ज है। इससे यह पुष्ट होता है कि भूमि बरवक्त भूमि बन्दोबस्त मन्दिर के नाम थी लेकिन कॉलम 5 में काश्तकारों के नाम दर्ज थे। ऐसी स्थिति में सद्भावी तौर पर काश्तकार माने जाने का तथ्य अपीलार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होता है। दौराने अपील विचारण अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मिसल हकीयत संवत 2087 में कॉलम 3 में मन्दिर श्री गोपाल जी विराजमान वाके ग्राम हरसेडा तथा कॉलम 4 में अपीलार्थी के हित पूर्वाधिकारी काश्तकारों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर भूमि माफी मन्दिर की नहीं मानी जाकर, खातेदारी अपीलार्थी और इनके हक पूर्वाधिकारियों के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होते हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा ऐसा कोई तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिससे यह पुष्ट होता हो कि विवादित आराजीयात माफी मन्दिर की है तथा जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 के समय भूमि मन्दिर के नाम होकर खुदकाश्त दर्ज हो। ऐसी स्थिति में अन्य जागीरदारों के समान मन्दिर की भूमि पर भी काश्तकारों के अधिकार प्रोद्भूत होने के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं।

[redacted] कलक्टर

(तृतीय) जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वो प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेज पेश करने का समुचित प्रावधान करते हुए तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन कर विवादित आराजीयात के संबंध में पुनः नवीन निर्णय 3 माह में पारित करें तथा आवश्यकता होने पर नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाये। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
(तृतीय) जयपुर।